134

20रु. कोर्ट फी Rs.20 COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

10रु. कोर्ट फी Rs.10 COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प सागर

निगरानी - 3371/2018/सागर/भू.रा.

नारायण प्रसाद तनय काशीराम राय,

निबासी— बहादुरपुर तहसील, जिला सागर म0प्र0

.................**आवेदक**

वनाम

1— आत्माराम तनय काशीराम राय,

2— शिवकुमार तनय काशीराम राय, 3— राकेश तनय काशीराम राय,

4— गौरव तनय स्व0 रमाशंकर राय,5— बृजेश तनय स्व0 कृष्णानंद राय,

6— जयबाबू तनय स्व0 कृष्णानंद राय,

सभी निबासी— बहादुरपुर तहसील, जिला सागर म0प्र0

7— रविशंकर तनय दयाशंकर राय,

निबासी ग्राम तेंदूखेड़ा, जिला नरसिंहपुर म0प्र0

.............**अनावेदकगण**

निगरानी आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू0 राजस्व संहिता :—

आवेदक की ओर से निम्न प्रार्थना है :—

1— यह कि आवेदकगण द्वारा यह निगरानी अधीनस्थ न्यायालय, **अनुविभागीय अधिकारी राहतगढ जिला सागर द्वारा प्र0 क0 16/अ—27/2017—18 में पारित आदेश दिनांक 28/05/2018** के बिरूद्ध प्रस्तुत कर रहा है, जो निगरानी समय सीमा में है, तथा माननीय न्यायालय को निगरानी सुनवाई का क्षेत्राधिकार है।

2— यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, तहसीलदार राहतगढ़ जिला सागर द्वारा अपने प्र0क0 33/अ—27/2007—08 में पारित आदेश दिनांक 17/10/2008 के विरूद्ध एक अपील अनावेदकगण कमांक 01 से 06 के द्वारा करीब 10 वर्ष उपरांत अनुविभागीय अधिकारी राहतगढ़ जिला

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3371/2018/सागर/भू.रा. नारायण विरूद्ध आत्माराम

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
07-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राहतगढ़ जिला सागर के प्रकरण क्रमांक 16/अ-27/2017-18 में पारित आदेश दिनांक 28-05-2018 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 1-06-2018 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अतः उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर सागर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका	

के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर सागर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 27-02-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर सागर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर सागर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 7.1.19
सदस्य